Chal No. 2 (1)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AB 509249

कार्यालय-[illegible] [illegible]-वाराणसी

द्वारा [illegible] 489 2011 में लेखपत्र

संख्या... ~~8656~~ 8657 2011 की

सत्यापित [illegible] 18.....।

पन्नी में [illegible]

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(ह० लि०)

सुनने वाला-श्रीमती [illegible] पाण्डेय
(ह० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

- 3 DEC 2010

T 309234

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. परगना / तहसील : देहात अमानत / सदर
3. ग्राम : झरौंदी, जिला वाराणसी।
4. सम्पत्ति का विवरण : आराजी नम्बर मि0 296.
5. मापन की ईकाई : वर्गमीटर
6. आराजी का क्षेत्रफल : 107.58 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : गैर चिन्हित कालोनी सड़क
8. अन्य विवरण (9मीटर रोड/कार्नर) : लागू नहीं
9. आराजी का प्रकार (प्लाट/फ्लैट/मकान/दुकान) : लागू नहीं
10. आराजी का कुल क्षेत्रफल : 107.58 वर्गमीटर
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल : लागू नहीं

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि0 लि0
श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी
दे0 ने0 लि0
उप नि0 II
वाराणसी

ANJANI REALTORS

PARTNER

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

- 3 DEC 2010

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309233

प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

12. स्थिति (फिनिश्ड/सेमीफि) : लागू नहीं
13. पेड़ो का मूल्याकन : कुछ नहीं
14. बोरिंग/कुआं अन्य : कुछ नहीं
15. निर्मित क्षेत्रफल : लागू नहीं
16. निर्माण का वर्ष : लागू नहीं
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है : नहीं
18. प्रतिफल धनराशि : 3,00,000/-
19. सरकारी मालियत : 5,60,000/-
20. ~~देय स्टाम्प~~ : 39,200/-

प्रथम पक्ष की संख्या-(6)

द्वितीय पक्ष की संख्या - (1)

ANJANI REALTORS

PARTNER

...न्द्र प्रताप सिंह (नि०लि०)

...(नि०लि०)

का०लि० II वाराणसी

...प्रताप सिंह नि०लि०

...मुरारी तिवारी दे० ले० लि०

का०लि० II वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

UTTAR PRADESH

[illegible] उपाध्याय [illegible] उपाध्याय, [illegible] उपाध्याय पुत्र [illegible] उपाध्याय, विश्वमोहन उपाध्याय, राजेश कुमार उपाध्याय पुत्रगण [illegible] राजमोहन उपाध्याय [illegible] [illegible], परगना [illegible], जिला [illegible] [illegible] मकान [illegible] बी-[illegible], [illegible], शहर वाराणसी।

[illegible]

ANJANI REALTORS

PARTNER

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

T 309268

UTTAR PRADESH

(4)

व

मेसर्स अंजनी रियलटर्स, 44-ए, लेन नम्बर 5, रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी जरिये पार्टनर श्री अनुज कुमार झिंझवानियां पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश झिंझवानियां निवासी लेन नम्बर 5, मकान नम्बर 44-ए, रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी।

.... द्वितीय पक्ष/क्रेता

विदित हो कि प्रथम पक्ष के पिता ज्योतिषाचार्य पंडित राजमोहन उपाध्याय ने मौजा करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी में स्थित आराजी नम्बर 296, रकबा 1 एकड़ 4 डिसमिल जरिये रजिस्टर्डशुदा बैनामा मोरखा 10-02-1964 नविश्ता मावेश्वरी कुंवर वगैरह मौरूसा खुद अएवज कीमत कामिल क्रय कर हासिल किया है बैनामा

ANJANI REALTORS

PARTNER

V.M. Upadhyay

V.M. Upadhyay

प्रसाद सिंह
नि० लि०

मुरारी तिवारी
दे० ले० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH

T 309269

(5)

मजकूर का इन्द्राज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, वाराणसी में बही नम्बर 1, जिल्द 3784 के पृष्ठ 308/312 पर बनम्बर 818 दिनांक 17-02-1964 को हुई है। तारीख बैनामा मजकूर से पिता प्रथम पक्ष आराजी मजकूर पर बहैसियत तनहां मालिक भूमिधर काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना ताहयात खुद अमल में लाते रहे और उनका नाम भी कागजात माल खतौनी में बहैसियत मालिक भूमिधर बमुजिब बैनामा मजकूर मुन्दर्ज रहा। पिता मजकूर के स्वर्गवास के पश्चात् हम प्रथम पक्ष बवजह होने कानूनी वारिसान व पुत्रगण अपने पिता की समस्त चल अचल जायदाद के मालिकान व काबिज दखील हुए जुज रकबा आराजी मजकूर पूर्व में ही मुन्तकिल हो चुका है। आराजी मजकूर का रकबा 0.147 हेक्टेयर हम प्रथम पक्ष के नाम तनहां बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर कागजात माल खतौनी में दर्ज है जिस पर हम प्रथम पक्ष बहैसियत मालिकान काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना अमल में लाते चले आ रहे है और जो हर नुक्श मिल्कियत से पाक साफ व बेखलिश है और जिसके बाबत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को कुल हुन हक मालिकाना मय हकूक इन्तकालात हर एकसाम हासिल है जो चाहे सो करे सरेदस्त हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को रुपयों की असद जरूरत वास्ते खर्च खानगी व दीगर कार जरुरियात के दरपेश है और बिना आराजी

चन्द्रमौली उपाध्याय

ANJANI REALTORS

PARTNER

V. M. Upadhyay

V. M. Upadhyay

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH

T 309270

(6)

उपरोक्त को विक्रय किये रुपयों का मिलना व जरूरियात वाला का रफा होना नामुमकिन है लेहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने उपरोक्त आराजी हस्ब तफसील जैल को विक्रय कर अपने जरूरियात मजकूर को रफा करना वाजिब व मुनासिब समझा। क्रय की बातचीत आम लोगों में चलायी जिस पर द्वितीय पक्ष/क्रेता मेसर्स अंजनी रियलटर्स, 44-ए, लेन नम्बर 5, रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी जरिये पार्टनर श्री अनुज कुमार डिडवानियां पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश डिडवानियां निवासी लेन नम्बर 5, मकान नम्बर 44-ए, रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी, प्रथम पक्ष की आराजियात मजकूर का कुल हस्ब तफसील जैल बएवज कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) खरीदने को आमादा व तैयार है जो कीमत बलिहाज स्थिति आराजी व मौजूदा बाजार भाव के उचित व मुनासिब है तथा इतना या इससे अधिक कीमत देने को कोई दूसरा सख्श तैयार नहीं है, अतः प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आराजी उपरोक्त हस्ब तफसील जैल को द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त के हक में मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) में विक्रय करने की बातचीत तय व पक्का कर लिया है। प्रथम पक्ष द्वारा आराजी मजकूर के बाबत बहक द्वितीय पक्ष बैनामा तहरीर व रजिस्ट्री करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। द्वितीय पक्ष/क्रेता अपने हक में बैनामा

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

ANJANI REALTORS

PARTNER

V. H. Upadhyay

V. H. Upadhyay

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7) T 309201

तहरीर कराने को प्रस्तुत है लिहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण आराजी हस्ब तफसील जैल का विक्रय पत्र बएवज कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) कि निस्फ जिसका 1,50,000/- रुपया होता है बहक व बदस्त द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर अपने स्वस्थ मन से प्रसन्नचित्त होकर बिना किसी जोर या दबाव के तहरीर व तकमील कर अपने को व अपने वारिसान व कायम मुकामानों को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करते व होते है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल तयशुदा कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) नगद कब्ल तहरीर बैनामा हाजा द्वितीय पक्ष/क्रेता से प्राप्त कर लिया है जिसकी पावती आज बरवक्त रजिस्ट्री बैनामा हाजा रुबरु सब रजिस्ट्रार साहब, वाराणसी स्वीकार करते है। अब द्वितीय पक्ष/क्रेता के जिम्मे बावत जर समन बैनामा हाजा हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का एक भी पैसा बाकी नही रहा यदि इसके विपरीत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कोई उज्र या ऐतराज बावत अदायगी जरे समन बैनामा प्रस्तुत करते है तो यह बमुकाबिले बयनामा हाजा बातिल व नाजायज मुतसव्वर होगा।

2. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आज की तिथि में विक्रयशुदा आराजी पर से अपना वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल हटाकर

ANJANI REALTORS

PARTNER

(9)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH (8) K 249314

वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष/क्रेता का करा दिया है जो-जो हक व अख्तियारात हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को मुतालिक आराजी विक्रयशुदा हासिल है वे सभी आज की तिथि से बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर कत्तई तौर से बय व मुन्तकिल हो गये। अब द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि विक्रयशुदा आराजी पर बतौर तनहां मालिक काबिज व दखील रहकर उसका पूर्ण रुपेण उपयोग व उपभोग अपने मनमाफिक करे अथवा जो चाहे सो करें इसमें प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को न कोई एतराज है व आईन्दा होगा।

3. यह कि अब द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि विक्रयशुदा आराजी पर से माल व अन्य सरकारी कागजातों से प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का नाम खारिज करावकर उस पर अपना नाम बतौर तनहां मालिका के दर्ज करवा लेवें व मालगुजारी वगैरह जो भी आयद हो उसे जमाकर अपने नाम से रसीद हासिल किया करें। आज के पहले के देयों के अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की होगी।

4. यह कि विक्रयशुदा आराजी हर तरह के वारदेन नुक्स मिल्कियत आदि से पाक साफ है, कहीं किसी तरह से रेहन बंधक, बय, सट्टा, कुर्की,

ANJANI REALTORS

PARTNER

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

₹1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [9] K 249313

जमानत, मुकदमेबाजी, अवाप्ति आदि से प्रभावित नहीं है। प्रथम पक्ष/विक्रेतागण के स्वामित्वाधिकार में किसी प्रकार का कोई दोष नही है। बर खिलाफ इसके आराजी विक्रयशुदा में किसी प्रकार का कोई नुक्स पाया जावे जिसकी वजह से या बवजह फेल ख्वाह तर्क फेल हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कुल ख्वाह जुज आराजी विक्रयशुदा पर से द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर का कब्जा दखल निकल जावे या कोई बार मुतालिक आराजी मजकूर अदा करना पड़े तो बहर सूरत द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर को हक हासिल है व होगा कि कुल जरे समन बैनामा मय हर्जा खर्चा ख्वाह जिस कदर नुकसानी हो मय सूद दो रुपया सैकड़ा माहवारी हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की जात व जायदाद से वसूल कर लेवे।

5. यह कि विक्रयशुदा आराजी आवासीय है और आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। विक्रयशुदा आराजी का रजिस्टर्ड पट्टा किसी पक्ष के हक मे नही हुआ है। विक्रयशुदा भूमि बशक्ल खुली आवासीय भूमि है जिस पर किसी तरह का कोई निर्माण नही है।

6. यह कि प्रथम पक्ष के मुकिर/विक्रेता हरिमोहन उपाध्याय ने किता मुख्तारनामा आम दिनांकित 28-06-2010 बहक सगे भ्राता प्रथम

ANJANI REALTORS

PARTNER

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH {10} K 249312

पक्ष के मुकिर/विक्रेता चन्द्रमौलि उपाध्याय तहरीर कर पंजीकृत कराया है जिसका इन्द्राज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, द्वितीय, वाराणसी में पुस्तक संख्या 4, खण्ड 81 के पृष्ठ 239 लगायत 248 पर नम्बर 215 दिनांक 28-06-2010 को हुई है जो अद्यतन कायम व प्रभावी है और मुकिर चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय बैनामा हाजा तहरीर कर पंजीकृत करा रहा है।

7. यह कि विक्रयशुदा आराजी नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की धारा 10(3) व 10(5) के किसी प्राविधानों से प्रभावित नहीं है। विक्रयशुदा आराजी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की नहीं है। पक्षगण भारतीय नागरिक है व उनके नाम व पते अंकित बैनामा हाजा वास्तविक व सही है।

8. यह कि विक्रयशुदा जायदाद सामान्य पक्की सड़क पर वाका है और जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित किसी मार्ग पर स्थित नहीं है तथा नगर निगम वाराणसी सीमा के बाहर देहात के अविकसित आवासीय क्षेत्र में स्थित है।

9. यह कि सरकारी दर से विक्रीत आराजी में भूमि की कीमत रु0 5200/- प्रति वर्गमीटर की दर से 107.58 वर्गमीटर का रु0

ANJANI REALTORS

PARTNER

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH (11) K 249311

5,59,416/- रुपया होती है जिसके पूर्णांक मु0 5,60,000/- पर स्टाम्प नियमानुसार मु0 39,200/- रुपये का अदा किया जा रहा है।

10. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल मजमून बैनामा हाजा को बखूबी पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर उसके विधिक प्रभाव से भली-भांति अवगत होकर बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर तहरीर किया है जिसकी पूरी पाबन्दी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण व वारिसान व कायम मुकामान प्रथम पक्ष पर है व रहेगी।

इस वास्ते प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने यह तहरीर बतौर बयनामा ताकजामी के बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

विवरण आराजी विक्रयशुदा

आराजी नम्बर मि0 296, रकबा 0.147 हेक्टेयर में से रकबा 1157.57 वर्गफीट यानि 107.58 वर्गमीटर वाका मौजा - करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसे

ANJANI REALTORS

PARTNER

उ0 नि0 II
वाराणसी

13

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [13] AL 520268

संलग्न नक्शे में लाल रंग की तिरछी लकीरों से दर्शाया गया है व जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित है –

पूरब : जुज आराजी मजकूर जो आज वहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।

पश्चिम: जुज आराजी मजकूर जो आज वहक शशांक केजरीवाल बय हो रही है।

उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।

दक्षिण : सड़क कालोनी।

गवाहान :-

1. नाम : Ashok Kumar Pandey
पिता का नाम : Shiv Kumar Pandey.
पूरा पता : K-61/96 Bulanala VARANASI
हस्ताक्षर : A.K. Pandey.

चन्द्रमौली उपाध्याय

ANJANI REALTORS

PARTNER

V. M. Upadhyay

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH (13) AL 520267

2. नाम : Chandra Shekhar Giri

पिता का नाम : Sri Nohar Lal Giri

पूरा पता : Q. No 7.6.B Bhadoun Chopi Raj Ghat Varanasi

हस्ताक्षर : C S Giri

तहरीर तारीख :- 03-12-2010.

मसविदाकर्ता :- एडवोकेट

कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

टाईपकर्ता :- मनोज यादव

मनोज यादव

चैम्बर नं0 5, कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. H. Upadhyay

ANJANI REALTORS

PARTNER

M. Upadhyay

(15)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

निष्पादन कर्ता/विक्रेता

हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

निष्पादन कर्ता/विक्रेता

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

दायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

पहचानने वाला–श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० नि०

पहचानने वाला–श्री कृष्ण मुरारी द्विवेदी
दे० [illegible]

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)

सुनने वाला–श्रीमती [illegible]
(नि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उ० नि० II
वाराणसी

[illegible] नि० II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

दायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

चन्द्रभोलोर उपाध्याय

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

V. K. Upadhyay

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

(उ॰ नि॰)

सुनने वाला-श्री कृष्ण पाण्डेय

(उ॰ नि॰)

सत्य प्रतिलिपि

उ॰ नि॰-II

वाराणसी

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र

सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी

उ॰ नि॰ II

वाराणसी

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

ANJANI REALTORS

हस्ताक्षर

PARTNER

[illegible] वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह

[illegible]

[illegible] वाला-श्री कृष्ण मुरारी [illegible]

दे० म० [illegible]

उ० नि० II

वाराणसी

[illegible] श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह

(नि० लि०)

[illegible] पाण्डेय

(नि० लि०)

[illegible]

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

17AA 922368

प्रदेश UTTAR PRADESH नक्शा नजरी बाबत आराजी नम्बर मि0 296, रकबा 0.147 हेक्टेयर में से रकबा 1157.57 वर्गफीट यानि 107.58 वर्गमीटर वाके मौजा - करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

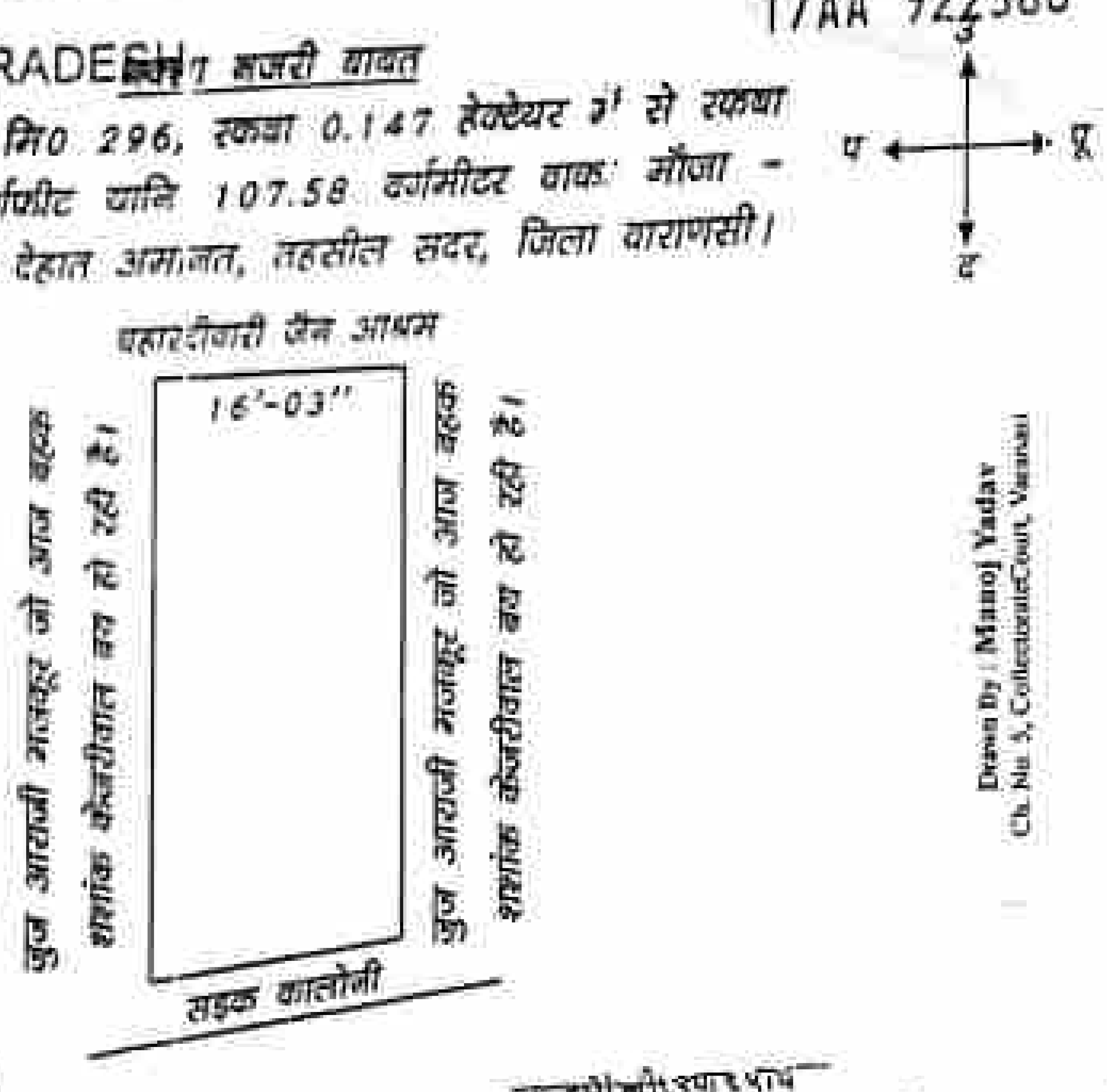

Drawn By : Manoj Yadav
Ch. No. 5, Collectorate Court, Varanasi

उ० नि० II
वाराणसी

ANJANI REALTORS

PARTNER